

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020 — श्रावण 23, शक 1942

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 06 जुलाई 2020

राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020

प्रस्तावना :-

क्रमांक एफ 1-13/2013/(6) 52.—राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 2057/1911/2012/ग्रामों, दिनांक 28.12.2012 द्वारा प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा बढ़ावा देने, हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं बुनकरों की कल्पनाशीलता योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने हेतु “सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम-2012” की स्थापना की गई थी।

राज्य शासन एतद्वारा “सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2012” का नाम परिवर्तित कर उसके स्थान पर “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020 संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस प्रकार के विनियम एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं।

उद्देश्य :-

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की परंपरागत हाथकरघा सूती वस्त्र उत्पादन कला-कौशल को संरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन में उत्कृष्टता लाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

संक्षिप्त नाम :-

(अ) इस नियम का संक्षिप्त नाम “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” होगा।

(ब) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

परिभाषा :-इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(अ) हाथकरघा से तात्पर्य ऐसे समस्त प्रकार के हाथकरघा जैसे - फ्रेमलूम, पिटलूम, जेकार्ड लूम आदि से है जो हस्तचलित (मानव शक्ति) हो।

(ब) बुनकर से तात्पर्य उपरोक्त बिन्दु क्रमांक- “अ” अनुसार करघों पर सूती वस्त्र बुनाई का कार्य करता हो।

(स) निर्णायक मंडल से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मण्डल (जूरी) से है।

पुरस्कार का स्वरूप :-

प्रदेश में हाथकरघा पर सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 2 बुनकरों को "राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020" अंतर्गत पुरस्कार राशि एक-एक लाख के मान से कुल राशि रुपये 2.00 लाख (अक्षरी दो लाख रुपये) मात्र नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह, शॉल एवं श्रीफल के रूप में दिया जायेगा। यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जुरी) द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ 2 बुनकरों को दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र पृथक-पृथक दिया जावेगा।

प्रविष्टियां :-

प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र बुनकरों के द्वारा हाथकरघा पर पारंपरिक/ आधुनिक डिजाईन में विभिन्न रंगों के संयोजन/रंग विहिन के साथ बुने गये सभी प्रकार के वस्त्र शामिल होंगे। उक्त पुरस्कार योजना में कोसा वस्त्र बुनकरों की प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी।

पुरस्कार योजना की शर्त :-

- (1) प्रविष्टि हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। (आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।)
- (2) प्रस्तुत प्रविष्टि हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु का बंधन नहीं है।
- (3) प्रस्तुत प्रविष्टि, आवेदक द्वारा हाथकरघा पर स्वयं के द्वारा बुनाई किया गया है, के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
- (4) एक आवेदक की एक ही प्रविष्टि स्वीकार की जावेगी।
- (5) पूर्व पुरस्कृत प्रविष्टि इस योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु ग्राह्य नहीं होगी। इस योजनान्तर्गत प्रविष्टि प्रथमबार प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक द्वारा स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- (6) पुरस्कार दिये जाने हेतु चयनित प्रविष्टि तथा पुरस्कार वितरण संपन्न होने के मध्य यदि संबंधित बुनकर का निधन हो जाता है तो चयनित एवं घोषित पुरस्कार उस बुनकर द्वारा नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- (7) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने जाने एवं ठहरने के लिए शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।
- (8) कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

प्रविष्टि आमंत्रण :-

- (1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में, आवेदन के साथ कलेक्टर के माध्यम से या सीधे आमंत्रित की जावेगी। प्राप्त प्रविष्टियां कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर "संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) रायपुर" को अग्रेषित की जावेगी। आवेदक पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टि आवेदन पत्र व संबंधित कागजात सहित संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) छत्तीसगढ़ रायपुर को बंद लिफाफे में सीधे भी भेज सकते हैं। जिले में पदस्थ उप/सहायक संचालक (हाथकरघा) उक्त पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार एवं संबंधित कार्य कलेक्टर के मार्गदर्शन में करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी।
- (2) प्रविष्टि आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी करने की तिथि में संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे।
- (3) (अ) चयन के लिए नियमों में उल्लेखित मापदण्ड एवं शर्तों के अलावा कोई और शर्त लागू नहीं होगी।
(ब) अगर किसी बुनकर की प्रविष्टि किसी वर्ष चयनित नहीं होती है तो वह बुनकर आगामी वर्ष में अपनी प्रविष्टि पुनः पुरस्कार हेतु भेज सकता है।
(स) प्रविष्टि में दिये अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा पुरस्कार के संबंध में अन्य पञ्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा।
(इ) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीयन किया जावेगा :-

क्र.	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद तथा पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4

निर्णायक मण्डल (जूरी) का गठन :-

राज्य शासन, संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा, जिसमें हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :-

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन, अंतिम व बंधनकारी होगा।
2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निर्णायक मण्डल के बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
4. निर्णायक मण्डल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

पुरस्कार के लिए चयन मापदण्ड :-

पुरस्कार के लिए हाथकरघा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनकर चयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश व मापदण्ड रहेंगे :-

1. पुरस्कार हेतु बुनकर आवेदक को इस योजना के समस्त नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
2. निर्णायक मण्डल द्वारा प्रासंगिक/मौलिक/परंपरागत/आधुनिक डिजाइनों, रंग संयोजन, बुनाई में विविधता आदि को दृष्टिगत रखते हुए बुने हुए वस्त्रों की विशेषता के आधार पर चयन किया जावेगा।
3. निर्णायक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

पुरस्कार की घोषणा :-

निर्णायक मण्डल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

व्यय की सम्पूर्ति :-

पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा की जावेगी।

नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :-

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में ग्रामोद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी। ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं, के निराकरण के अधिकार भी छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग में वेष्टित होंगे।

अन्य दायित्वों का निर्वहन :-

प्रतिवर्ष प्राप्त पुरस्कार एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा संधारित किया जावेगा। पुरस्कृत प्रविष्टि राज्य शासन की संपत्ति होगी, जो राज्य के संग्रहालय अथवा संबंधित विभाग के प्रदर्शन कक्ष में जनदर्शन हेतु रखी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, विशेष सचिव.